सल्गनक (ख)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1
संख्याः 3/ख-85(प्रशिक्षण)-2010 दिनांकः मई।१८,2010

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,प्रशिक्षण
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।

विषयः- 35000 रिक्रूट आरिक्षियों को प्रशिक्षण हेतु समूह'घ' के कर्मियों हेतु रू0 3500/- प्रतिमाह भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कृपया अपने अर्धशासकीय पत्र संख्याः प्रक्रि-प-29(एसी-1)2009, दिनांक 30.04.2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मानक मद 02 मजदूरी मद में विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में दैनिक मजदूरी पर रखे जाने वाले समूह 'घ' के कर्मियों (कुक/कहार/नाई/धोबी व स्वीपर)को कितनी मजदूरी दी जानी है के संबंध में स्थिति स्पष्ट जाने की अपेक्षा की गयी है ।

2. प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को दैनिक मजदूरी दिये जाने के संबंध में स्पष्ट करना है कि शासनादेश संख्या:442/6-पु-9-1100(184)/08 दिनांक 8.7.2009 द्वारा (छाया प्रति संलग्न) द्वारा प्रदेश के पुलिस थानों /चौकियों /इकाइयों में कार्यरत अंश कालिक सफाई मजदूरों को प्रतिमाह दिये जाने वाले नियत वेतन की धनराशि तात्कालिक प्रभाव से एक समान रूप से (शहरी एंव गामीण क्षेत्रों में) रू0 600/-(रू0 छःसौ मात्र) प्रतिमाह स्वीकृति प्रदान की गयी है । जहां तक दैनिक मजदूरी का संबंध है इस संबंध में मजदूरी की दर जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर कार्यवाही की जा सकती है ।

संलग्नकःयथोपरि

18/5

(ए0के0 उपाध्याय)
पुलिस महानिरीक्षक,प्रे0/ब0
उत्तर प्रदेश ।

Addl SP

प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक,कार्मिक,उ0प्र0,लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्नकःयथोपरि

(ए0के0 उपाध्याय)
पुलिस महानिरीक्षक,प्रे0/ब0
उत्तर प्रदेश ।

20/5/2010

20/5/10

प्र0 में न्यूनतम मजदूरी की दर — रू0 100 प्रतिदिन

संलग्नक 'ख'

1226
10/7/09

संख्या-442/6-पु-2-09-1100(184)/08

XI-33-2009

8/12

प्रेषक,

मदन किशोर श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0 प्र0, पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।

गृह (पुलिस)अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 8 जुलाई, 2009

विषयः- प्रदेश के पुलिस थानो/चौकियों/इकाईयों में कार्यरत अंशकालिक सफाई मजदूरों के नियत वेतन में वृद्धि।

महोदय,

प्रदेश के पुलिस थानो/चौकियों/इकाईयों में कार्यरत अंशकालिक सफाई मजदूरों को शासनादेश सं0-1102/6-पु-2-97-1100(92)/96 दिनांक 27 अगस्त 1997 द्वारा शहरी क्षेत्र में रू0 300/- प्रतिमाह तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 250/- प्रतिमाह नियत वेतन प्रदान किया गया था।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 1997 से बराबर हो रही महगांई दरों में वृद्धि को देखते हुए शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 27 अगस्त 1997 को अवक्रमित करते हुए राज्यपाल महोदय प्रदेश के पुलिस थानो/चौकियों/इकाईयों पर कार्यरत अंशकालिक सफाई मजदूरों को प्रति माह दिये जाने वाले नियत वेतन की धनराशि तात्कालिक प्रभाव से एक समान रूप से (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में) रू0 600/- (रू0 छः सौ मात्र) प्रतिमाह प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस हेतु होने वाला व्यय सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय व्ययक के अनुदान सं0-26(पुलिस) के अधीन लेखा शीर्षक 2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस-03-जिला पुलिस मुख्य-02-मजदूरी के नामे डाला जायेगा और उपलब्ध प्राविधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 सं0-ई-12-1297/दस-2009 दिनांक 01 जुलाई 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

256
1GP&B
XII

भवदीय,

(मदन किशोर श्रीवास्तव)
उप सचिव।

अपर पुलिस महानिदेशक
उ0 प्र0 पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद 9/7/09

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ।
3. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-12
4. वित्त सामान्य अनुभाग-1/2
5. गृह (पुलिस) अनुभाग-7
6. गार्ड फाइल।

6649

XII

आज्ञा से,

(मदन किशोर श्रीवास्तव)
उप सचिव।

पुलिस महानिदेशक ऑफिस
उ0 प्र0 पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद 9/7/09